(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रेमसिंह चीपलाटा बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर वगै0

किस्म मुकदमा:–प्रार्थना पत्र अ.धा. 131, 132 एल.आर.एक्ट, मुकदमा नम्बर:– 35/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

28.06.2022

प्रार्थी श्री प्रेमसिंह चीपलाटा, पचांयत समिति सदस्य, वार्ड नं. 2, पंचायत समिति अजीतगढ़ ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अ.धा. 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर राजस्व ग्राम चीपलाटा के खसरा नम्बर 352 की ऑनलाईन नक्शे की तरमीम की अशुद्धि को शुद्ध करवाने बाबत पेश किया। जिस पर प्रार्थना पत्र को वास्ते जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भिजवाया गया। जो तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1815/भू.अ./2022 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा प्रकरण में बाद जॉच रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई गई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि खसरा नम्बर 352 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह दर्ज है। जिसके संलग्न नजरी नक्शा के बिन्दू सं. ए पर खसरा नम्बर 426 में शामिल कर दिया गया जबकि खसरा नम्बर 426 खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 352 की आकृत्ति मुताबिक नजरी नक्शा के बिन्दू बी. सी. डी. ई. एफ. जी तक ही आकृत्ति को सिमित कर दिया गया जबकि सम्पूर्ण खसरा नम्बर बिन्दू ए से लेकर जी तक होना चाहिए। बिन्दू सं. बी पर बन्द सीमा को हटाये जाने तथा बिन्दू ए पर बन्द करने बाबत पटवारी हल्का चीपलाटा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अभिशंषा की गई है। पटवारी हल्का चीपलाटा ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम चीपलाटा के भूमि खसरा नम्बर 352 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी के खसरा नम्बर 352 नक्शा शीट नई एंव आनॅलाईन नक्शा में रकबा कम है। नक्शा शीट पुरानी व नई का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 352 का रकबा खसरा नम्बर 353 व 426 से बने नये खसरा नम्बर 2024/426 में शामिल हो गया है। खसरा नम्बर 2024/426 रकबा 0.28 हैक्टर वर्तमान में अनिल पुत्र सांवरमल हि0 1/3, जितेन्द्र पुत्र सॉवरमल हि0 2/3 जाति बलाई निवासी लादिया के नाम दर्ज रिकार्ड है एंव खसरा नम्बर 353 रकबा 0.04 हैक्टर गै0मु0 चाह सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 2024/426 का दक्षिणी [illegible] लाल स्याही से दर्शित है व खसरा नम्बर 353 की [illegible] जो लाल स्याही से दर्शित है वो मुताबिक [illegible] शीट खसरा नम्बर 352 रकबा 0.40 [illegible] होता है एंव खसरा नम्बर 2024/426 रकबा 0.28 हैक्टर मौके [illegible] कब्जे व नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार पूरा है। नया नक्शा शीट व पुराना नक्शा शीट नकल एंव नजरी नक्शा के भूमि खसरा नम्बर 352, 353, 2024/426 को दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का चीपलाटा की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:08:40 IST
Reason: SelfAttested

28/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा नजरी नक्शा ट्रेस नया व पुराना, खसरा व नक्शा जमाबन्दी, जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, मिलान क्षेत्रफल, पटवारी हल्का चीपलाटा की रिपोर्ट व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 352 की भूमि का रकबा भूमि खसरा नम्बर 426 से जुड़ता हुआ नक्शें में प्रतित होता है। जबकि खसरा नम्बर 426 पूर्व से ही खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 426 को सही बन्द नहीं किया जाना तथा खसरा नम्बर 352 की भूमि उक्त खसरा नम्बर 426 में मिली हुई होना प्रकट होता है। जिसमें से खसरा नम्बर 352 की सीमायें बिन्दू "ए" से "जी" तक होना प्रमाणित होता है। जिसे दुरूस्त कर बिन्दू "ए" पर सीमा को बन्द करने से तथा बिन्दू "बी" पर बन्द सीमा को हटाये जाने पर खसरा नम्बर 352 का भाग सम्पूर्ण बनना पाया जाता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआरएक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चीपलाटा के अनुसार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार ग्राम चीपलाटा के भूमि खसरा नम्बर 352 की सीमायें बिन्दू "ए" से "जी" तक प्रमाणित होना पाये जाने पर उसे नजरी नक्शा में दुरूस्त कर बिन्दू "ए" पर सीमा को बन्द करते हुए तथा बिन्दू "बी" पर बन्द सीमा को हटाया जाकर उक्त खसरा नम्बर 352 के नक्शा में दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर. एक्ट दर्ज रजिस्टर से जाये व पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:08:40 IST
Reason: SelfAttested

28/06/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर